न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/90/2015

उनवान

1. लादू पुत्र रूपा धाकड निवासी पदमपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. .मु0 बरजी बेवा उदा धाकड निवासी पदमपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

वादिया/प्रत्यर्थी

2. कल्याण पुत्र भोला धाकड निवासी पदमपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 140/2005 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.6.2015

अभिभाषक : 1. श्री मथुरा लाल तेली , अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री विनोद आचार्य, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2

आदेश

दिनांक 25.8.2017

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया के पति स्व0 उदा, ससुर भोला, देवर स्व0 रूपा, एवं प्रतिवादी संख्या 1 कल्याण के संयुक्त परिवार की अर्जित कृषि भूमि ग्राम राजगढ में आराजी नम्बर 340 लगायत 344, 411/344 किता 6 रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा वादिया और प्रतिवादीगण के सामलाती परिवार की सम्पति है। वादिया के पति का करीब 40 वर्ष स्वर्गवास हो गया एवं भोला का भी करीब 35 साल पहले स्वर्गवास हो गया । वादिया मृतक उदा की शादीसुदा पत्नि है। वादिया वर्णित भूमि में 1/3 हिस्से की हकदार होकर

खातेदार काष्तकार भुगतभोग करती आ रही है। अतः वादिया को वर्णित भूमि में 1/3 हिस्से की खातेदार काष्तकार घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी जारी की जावे एवं वादिया एवं प्रतिवादीगण के बीच विवादित भूमि का हक हिस्से अनुसार मौके पर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा किये जाने की डिक्री पारित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादिया का वाद पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी में वादिया को 1/3 हिस्से की खातेदार काष्तकार घोषित किया जिससे व्यथित होकर यह प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र पंजिबद्ध होने पर अपीलार्थी/प्रतिवादी ने जवाब दावा पस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में वादिया का 1/3 हिस्सा नहीं होकर 1/6 हिस्सा होने का कथन किया एवं दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत की । उक्त प्रकरण लोक अदालत केम्प राजगढ में पेष हुआ । जिसमें बिना अपीलार्थी के उपस्थित हुए व सुने अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए प्रत्यर्थी/वादिया का वाद स्वीकार कर ग्राम राजगढ की वादग्रस्त आराजी नम्बर 340 लगायत 344 एवं 411/344 किता 6 रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा में वादिया को 1/3 हिस्से का खातेदार काष्तकार घोषित कर दिया । जबकि मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने से पूर्व बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। जो जारी नहीं की गई है।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि गत बन्दोबस्ती आराजी नम्बर 290/1 मीन, 293/1 मीन, 293/2–292/1 एवं 290 मीन दर्ज थी। उक्त सभी नम्बरान की भूमि जरिये आवंटन के भोला पिता धूला एवं रूपा पिता धूला को आवंटन हुई थी। जिसमें भोला पिता धूला को 1/2 हिस्सा व रूपा पुत्र भी भोला का 1/2

हिस्सा था । उसी अनुसार भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित की गई थी। वर्तमान बन्दोबस्ती मिलान खसरे के अनुसार गत बन्दोबस्ती नम्बरान के आधार पर जो नया खसरा नम्बर दर्ज हुए है वे ही वादग्रस्त आराजी नम्बर 340, 341, 342, 343, 344, 411/344 किता 6 रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा में धूला का 1/2 हिस्सा व रूपा पिता भोला का 1/2 हिस्सा है, चूंकि भोला पिता धूला जी रूपा जी के पिता थे एवं उनके भोला जी के दो पुत्र कल्याण व उदा भी थे । इसलिए स्व0 भोला जी का 1/2 हक हिस्से में भोला जी के तीनों पुत्र रूपा, कल्याण, उदा को बराबर बराबर हिस्सा प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में भोला जी के 1/2 हिस्से में कल्याण, पिता भोला को 1/6 हक हिस्सा, रूपा पिता भोला को 1/6 हक हिस्सा व उदा पिता भोला को 1/6 हक हिस्सा प्राप्त होगा। चूंकि उदा की मृत्यु हो चुकी है इसलिए उनका 1/6 हिस्ससा वादिया को प्राप्त होगा व 1/5 हक हिस्सा कल्याण को प्राप्त होगा। एवं 1/6 हिस्सा रूपा जी को प्राप्त होगा। 1/6 हिस्सा रूपा जी की मृत्यु होने से अपीलार्थी को प्राप्त होगा। इस प्रकार अपीलार्थी को उनके मूल 1/2 हक हिस्से के अतिरिक्त रूपा जी को उत्तराधिकारिता से प्राप्त होने वाले 1/6 हक हिस्से सहित 2/3 हक हिस्सा कुलिया वादग्रस्त भूमि में प्राप्त होगा व शेष 1/3 हक हिस्सा के प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 हकदार है। गत पेमाईष पर यह भूमि गैर खातेदारी की हैसियत से स्व0 भोला जी की परिवार की संयुक्त परिवार की सामलाती भूमि कभी नहीं रही है। जब भूमि का आवंटन हुआ तब भोला जी अलग रहते थे एवं अलग–अलग कृषि व्यवसाय करते थे एवं स्व0 भोला जी ने रूपा जी को अलग कर दिया था । उस समय केवल प्रतिवादी संख्या 1 भोला जी के साथ रहता था व उदा व रूपा का परिवार अलग–अलग भूमि के आवंटन के पश्चात स्व0 भोला जी व रूपा के अपनी टूकडी अलग कर ली । कुलिया 30 बीघा भूमि में स्व0 भोला जी के जीवन काल में स्व0 रूपा जी पूर्वी उत्तरी ओर हिस्से पर काबिज हो गया व भोला जी पष्चिमी दक्षिणी हिस्से पर काबिज हो गये व कुआ खोदा गया था वह भी भोला जी ने खोदा जिसमें 1/2 हिस्सा स्व0 रूपी जी अकेले व 1/2 हिस्से में भोला जी उनकी मृत्यु के पश्चात 2/3 हिस्सा अपीलार्थी के पिता रूपा जी व उनकी मृत्यु के बाद अपीलार्थी का है व विद्युत मोटर भी शामलाती है। मोटर लगी तब स्व0 रूपा जीवित था जो स्व0 भोला जी के

जीवन काल में शांत हो गया एवंज ब स्व0 रूपा जी की मृत्यु हुई तब रूपा जी के उत्तराधिकारी संताने अवयस्क थी । वर्तमान में भी अपीलार्थी विद्युत मोटर का 2/3 हक हिस्से की सीमा तक ओसरे अनुसार पानी निकालकर क्यों कि शामलाती कुए के हिस्से के अनुसार विद्युत मोटर में भी अपीलार्थी का 2/3 हिस्सा बिजली का बिल एवं रख रखाव हेतु आने वाले बिलों का भुगतान भी करता चला आ रहा है। जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वादिया का वादग्रस्त आराजियात में केवल मात्र 1/6 हिस्सा होते हुए उक्त तथ्य रेकार्ड पर उपलब्ध होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त जवाब के तथ्यों को नजरअंदाज कर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को 1/3 हक हिस्से का खातेदार काष्तकार घोषित करने में भारी भूल की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री खारिज किये जाने योग्य है।

5. अपीलार्थी का यह भी कथन है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेष किया जिसमें रूपा जी के वारिसान में उसकी दो पुत्रियॉ मनभर व धापू को भी सजरे में नही दर्षाना व पक्षकार नहीं बनाने का उजर उठाया गया , जिसे भी अधीनस्थ न्यायालय ने नजरंअदाज कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो अपास्त होने योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादिया ने वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से की खातेदार काष्तकार घोषित किये जाने की दाद चाही थी जिस पर अपीलार्थी/प्रतिवादी ने जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेष कर अपीलार्थी को 2/3 हक हिस्से का खातेदार काष्तकार घोषित करने व इसी अनुसार विभाजन करने की दाद चाही थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना काउण्टर क्लेम पर कोई निर्णय पारित किये अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

7. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात पुष्तैनी थी । मूल पुरूषा भोला जी थे जिनके तीन पुत्र थे उदा , रूपा एवं कल्याण । अपीलार्थी रूपा जी के लडके हैं, तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 मु0 बरजी जो कि उदा जी की पत्नि है तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 कल्याण

भोला जी के लडके है। चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादिया के पति उदा जी की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में पैतृक आराजियात में अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 तीनों के ही 1/3, 1/3 हक हिस्से से आराजियात दर्ज होनी चाहिये थी । जो नहीं की गई । वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय ने इस बाबत वाद पत्र प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजियात पुष्तैनी है एवं पुष्तैनी आराजियात में भोला जी के तीनों वारिसान का बराबर–बराबर हक हिस्से अनुसार 1/3, 1/3 हक हिस्से की खातेदारी दी जाकर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 वादिया ने गवाहान के बयान कराये एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये । जिस पर बाद विचारण अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

8. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया । वादिया ने वाद पत्र विभाजन एवं खातेदारी अधिकारों हेतु प्रस्तुत किया था । परिवार के मूल पुरूष भोला जी थे जिनके तीन पुत्र उदा, रूपा एवं कल्याण थे । जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1/वादिया स्व0 उदा पुत्र भोला की पत्नि है एवं अपीलार्थी लादू रूपा का पुत्र है तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 कल्याण भोला जी का पुत्र है। वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं विभाजन का वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसकी ताईद में गवाहान के बयान एवं राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत किया । गवाहान ने वादिया को भोला के पुत्र. उदा की पत्नि होने का कथन किया तथा वादग्रस्त पुष्तैनी आराजियात में वादिया का 1/3 हक हिस्सा होने का कथन किया एवं कब्जा भी वादिया का 1/3 हिस्से पर होने का कथन किया । चूंकि वादग्रस्त आराजियात पुष्तैनी होने से भोला जी के तीनों वारिसान क्रमषः उदा, रूपा एवं कल्याण में 1/3 , 1/3 हक हिंस्से से अधिकार निहित होते है। जमाबंदी में भी विवादित आराजियात विरासत से कल्याण पिता भोला 1/2 व लादू पिता रूपा 1/2 दर्ज होने पर अपीलार्थी द्वारा पूर्व में कभी आपत्ति नहीं की गई। जिससे आराजियात सभी की बराबर होने के तथ्य की पुष्टि

होती है । परन्तु राजस्व रेकार्ड में गलत इन्द्राज होने से वादिया ने वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

9. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.6.2015 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 25.8.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 90 / 2015

उनवान

1. लादू पुत्र रूपा धाकड निवासी पदमपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. .मु0 बरजी बेवा उदा धाकड निवासी पदमपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

वादिया / प्रत्यर्थी

2. कल्याण पुत्र भोला धाकड निवासी पदमपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 140 / 2005 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.6.2015

अभिभाषक : 1. श्री मथुरा लाल तेली , अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री विनोद आचार्य, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2

अपील में डिक्री

(आदेष 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 90 / 2015** मे **उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ** के आदेष की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 25.8.2017 को अपीलाण्ट की ओर से श्री मथुरा लाल तेली वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से श्री विनोद आचार्य की उपस्थिति मे दिनांक 25.8.2017 को सुनवाई के लिये आने पर आदेष दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.6.2015 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 25.8.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्क्री जारी की जाती है।

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. षक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेषिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट

1. षक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेषिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस